




दहेज प्रथा को संबोधित करने के लिए

जिला कल्याण अधिकारी – दहेज निषेध अधिकारी
के लिए मानक संचालन प्रक्रिया



सन्दर्भ

बिहार सरकार द्वारा अपनी पहल से राज्य में दहेज प्रथा का अंत करने के लिए विभिन्न सम्बंधित हितधारकों हेतु मानक कार्यवाही प्रक्रिया जारी की जा रही है। इस मानक कार्यवाही प्रक्रिया के निर्माण का उद्देश्य राज्य समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पूरे बिहार में कार्यरत अधिकारियों के लिए सामान्य सर्वमान्य हस्तक्षेप का तरीका प्रदान करना है। यह अपेक्षित है कि इसका उपयोग वे दहेज की घटना के संज्ञान में आने पर उसमें हस्तक्षेप करने और उसकी रोकथम करने के लिए करेंगे। यह पुस्तिका हितधारकों को उनके अपनी परिस्थितियों में दहेज प्रथा के मूल कारणों को संबोधित करने में मदद करेगी।

यहाँ पर दहेज प्रथा का अंत करने के सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग के जिला कल्याण अधिकारी – दहेज निषेध अधिकारी की भूमिका और उनके लिए मानक कार्यवाही प्रक्रिया की चर्चा की गई है।

समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति— बच्चे, बड़े, पुरुष, स्त्री और नेता—हर कोई दहेज प्रथा को खत्म करने में मदद कर सकता। हमें उन तक पहुँचकर उनको दहेज के नकारात्मक प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में संवेदनशील बनाने की जरूरत है, और उन्हें इस कुरीति का प्रतिरोध करने के लिए समझाने और प्रेरित करने की जरूरत है। दहेज निषेध अधिकारी के पास अपनी पद और प्रतिष्ठा (वाह्य परिवर्तनकारी कारक के रूप में) के चलते इस बात के लिए अनुकूल परिस्थिति होती है कि, वे समुदाय के सभी हिस्सों में जाकर दहेज के बुरे प्रभाव के बारे में और इनसे सम्बंधित लागू कानून और योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं।

क्या है दहेज और इसकी रोकथाम करने में दहेज निषेध अधिकारी की क्या भूमिका है?

“दहेज” का मतलब है शादी के समय, शादी से पहले या शादी के बाद किसी भी संपत्ति अथवा मूल्यवान वास्तु को दहेज के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में

- विवाह के लिए एक पक्षकार द्वारा दुसरे पक्षकार को या
- किसी भी पक्षकार के माता-पिता अथवा उसके तरफ से अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के लिए दुसरे पक्ष को

देना या फिर देने के लिए करार करना। परन्तु, जिन व्यक्तियों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है उनके मेहर की रकम इसमें शामिल नहीं है।

उपहार और स्त्रीधन दहेज नहीं माना जाता

स्त्रीधन वह संपत्ति है जो किसी महिला को उसके शादी के बाद या शादी के समय प्राप्त हुई या दी गई है। यह एक स्वेच्छिक उपहार है। स्त्रीधन और किसी भी उपहार में जबरन का कोई तत्व नहीं है, दोनों देने वाले की इच्छा से और उनके समर्थ के अनुसार दी जाती है।

जिला कल्याण अधिकारी / दहेज निषेध अधिकारी के लिए निर्धारित किये गए कार्य

रोकथाम के कार्य

1. दहेज निषेध अधिकारी शिविर आयोजित करने, सूचना और प्रसारण विभाग, पंचायत समितियों व अन्य मीडिया माध्यम से लोगों के बीच दहेज के मुद्दे पर जागरूकता फैलाएगा, तथा दहेज पर रोकथाम के लिए स्थानीय लोगों को भी इस मुहीम में शामिल करेगा।
2. दहेज निषेध अधिकारी विनयपूर्वक दहेज पीड़ित परिवारों की उचित देखभाल करते हुए, परिवार की गोपनीयता व गरिमा को बरकरार रखते हुए तथा रिश्तों के बीच सामंजस्य को बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करेगा।

3. दहेज निषेध अधिकारी का प्रारंभिक कार्य दहेज को रोकना व इसके सम्बन्ध में आई शिकायतों का निवारण करना होगा। दहेज निषेध अधिकारी द्वारा अभियोग चलने की सिफारिश तभी की जाएगी जब दहेज रोकने के अन्य सभी उपाय और पहल अप्रभावी पाए जायेंगे अथवा पार्टियां निर्धारित समय के भीतर आदेश या निर्देशों का अनुपालन न करें।

उत्तरदायी और समन्वयकीय भूमिका

1. दहेज निषेध अधिकारी किसी भी पीड़िता / अथवा उसके माता-पिता अथवा पीड़िता के अन्य रिश्तेदारों अथवा मान्यता प्राप्त लोक कल्याणकारी संस्थानों/संगठनों से शिकायत प्राप्त करने के बाद कार्यवाही करेगा। यह शिकायत दहेज निषेध अधिकारी के कार्यालय में किसी व्यक्ति, सन्देश वाहक अथवा असाधारण डाक जैसे कि स्पीड पोस्ट) के जरिये भेजा जा सकता है।
2. दहेज निषेध अधिकारी को यह पता लगाने के लिए कि क्या दहेज निषेध अधिनियम/ नियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन हो रहा है, और उसके सम्बद्ध में पूछताछ करने के लिए औचक निरीक्षण करेगा।
3. दहेज निषेध अधिकारी सभी शिकायतों का रिकॉर्ड, उनकी जांच पड़ताल करने और उनको नतीजे तक पहुँचाने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों व निर्धारित फॉर्म नंबर -1 में भरे गए अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को एक रजिस्टर में दर्ज करेगा। अधिकारी प्रत्येक मामले से सम्बंधित सभी उपयोगी रिकार्डों को एक साथ रखने के लिए अलग-अलग फाइल बनाएंगे।
4. दहेज निषेध अधिकारी सलाहकार बोर्ड के सदस्य सचिव / संयोजक के रूप में कार्य करेगा। वह सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के साथ उनसे आवश्यक सलाह और मदद लेने के लिए लगातार संपर्क में रहेंगा। वह आवश्यकतानुसार जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम के संचालन से संबंधित सभी मामलों के बारे में सूचित करेगा।
5. दहेज निषेध अधिकारी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई शादी में उपस्थित लोगों द्वारा दिए गए सभी उपहारों की सूची को अपने निगरानी में रखेगा और इसके अलावा उपहारों के नामों को मामले से सम्बंधित रिकॉर्ड रजिस्टर में चढ़ाएगा। दहेज निषेध अधिकारी इन सूचियों का निरीक्षण करेगा और दहेज निषेध (दुल्हन और दूल्हा को मिले उपहारों की सूची) नियम, 1985 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
6. दहेज निषेध अधिकारी द्वारा प्राप्त हर ऐसी शिकायत को क्रमवार दर्ज किया जाएगा और प्रत्येक शिकायत को एक नंबर दिया जाएगा। और यह संलग्न फार्म नंबर 2 के नियमों के अनुसार एक रजिस्टर में विधिवत लिखा जाएगा।
7. दहेज निषेध अधिकारी शिकायत की जांच करेंगे और यदि यह पाया जाता है कि शिकायत की प्रकृति और गंभीरता (अंतर्वस्तु) अधिनियम की धारा 3 अथवा 4 अथवा 4। अथवा 5 अथवा 6 के अंतर्गत आता है तो वह प्रमाण इकट्ठा करने के लिए शिकायत के तथ्यों की रौशनी में पक्षकारों से तत्काल पूछताछ शुरू करेगा।
8. दहेज निषेध अधिकारी अधिनियम के तहत प्राप्त किये गये शिकायतों और उन पर की गयी कार्यवाही अथवा फॉर्म संख्या -2 से संबद्ध नियमों के तहत निबटाये गए मामलों की तिमाही रिपोर्ट मुख्य दहेज निषेध अधिकारी को भेजेंगे। दहेज निषेध अधिकारी ऐसे विवरण या रिपोर्ट जरूरत के अनुसार समय-समय पर मुख्य दहेज निषेध अधिकारी या सरकार भेज सकते हैं।
9. दहेज निषेध अधिकारी मौके पर जाकर जांच करेगा और जाँच में पक्षकारों अथवा गवाहों से मौखिक या लिखित रूप में सबूत इकट्ठा कर सकता है। वह पक्षकारों अथवा गवाहों के लिए बहुत अधिक असुविधा या कठिनाई पैदा किये बिना, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सुविधाजनक स्थान पर अथवा अपने कार्यालय में सुनवाई आयोजित कर सकता है।
10. दहेज निषेध अधिकारी फार्म-3 में संलग्न नियमों के तहत पक्षकारों और गवाहों को सम्मन जारी करके सुनवाई की तारीख, समय और जगह के बारे में सूचित करेगा।
11. हर याचिका की जांच होनी चाहिए और उसके दाखिल होने के 1 महीने के अंदर उसे सुना तथा तथ्यों को खंगाला जाना चाहिए।
12. शिकायत अथवा याचिका के सुनवाई की तारीख निर्धारित हो जाने के बाद से, अथवा किसी भी अन्य तारीख तक सुनवाई स्थगित हो जाने पर, यदि शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता के तारीख पर न आने की स्थिति में दहेज निषेध अधिकारी अपने विवेक से उनकी अनुपस्थिति को कारण बनाते हुए या तो शिकायत/याचिका को खारिज कर सकता है अथवा उसकी गंभीरता/मेरिट को ध्यान में रखते हुए सुनवाई को जारी रख सकता है, जो कि मामले से सम्बंधित फाइल में दर्ज किया जाएगा।

13. दहेज निषेध अधिकारी दहेज निषेध अधिनियम के तहत शिकायत, याचिका या आवेदन से संबंधित सूचना एकत्रित करने अथवा पूछताछ करने के क्रम में अथवा कार्यवाही के किसी भी चरण में सहयोग पाने के लिए जिला परिवीक्षा अधिकारी या अतिरिक्त जिला परिवीक्षा अधिकारी या सिटी परिवीक्षा अधिकारी की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।
14. दहेज निषेध अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर, परिवीक्षा अधिकारी मामले में जरूरी छानबीन कर सूचना एकत्रित और तत्परता ले साथ दहेज निषेध अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
15. दहेज उस महिला के जगह जो दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत इसके लिए हकदार है, कोई अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, और उस महिला के तरफ से दहेज उसे न हस्तांतरित होने की शिकायत दहेज निषेध अधिकारी से की जाती है, तो दहेज निषेध अधिकारी पक्षकारों को निर्धारित समय में दहेज हस्तांतरित करने का निर्देश जारी करेगा।
16. दहेज निषेध अधिकारी को विशेष तौर पर यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके अधिकार क्षेत्र में होने वाली शादी में, वह अथवा उसके स्टाफ के सदस्य यह देखने के लिए शादी का दौरा करें कि, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो रहा हो।
17. दहेज निषेध अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाले विवाहों या प्रस्तावित विवाह के संबंध में अधिनियम के प्रावधान का पालन न करने के संबंध में जरूरी पूछताछ करेगा।
18. दहेज निषेध अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाले बहूत सारे विवाहों के सम्बन्ध में उचित माध्यमों से पता लगायेगा, और इस बात की पुष्टि करेगा कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है और उनका उल्लंघन नहीं हो रहा है।
19. दहेज निषेध अधिकारी द्वारा अधिनियम के तहत पूछताछ करने के दौरान अथवा जब वह पूछताछ के मकसद से किसी शादी का दौरा कर रहा है, तो वह किसी पुलिस अधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी की मदद ले सकता है। पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य बनता है कि वह दहेज निषेध अधिकारी के लिए सुरक्षा सम्बन्धी जरूरी सभी जरूरतों को पूरा करे।
20. दहेज निषेध अधिकारी अधिनियम के तहत दर्ज कराये गये मामले की जांच करने और कोर्ट की सुनवाई में पुलिस की मदद करेगा।
21. दहेज निषेध अधिकारी अधिनियम के तहत प्राप्त मामलों से सम्बंधित अपना कार्य करने के दौरान सलाहकार बोर्ड के मार्गदर्शन लेता रहेगा।
22. दहेज निषेध अधिकारी (सलाहकार बोर्ड का सदस्य सचिव /संयोजक) को सलाहकार बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही (मीटिंग मिनट्स) की एक प्रति, मीटिंग में हुई बातचीत पर जानकारी साझा करने व आवश्यक कार्यवाही के लिए, मीटिंग की तारीख से 15 दिन के भीतर राज्य सरकार को भेजते हुए जिलाधिकारी को भेजना होगा।
23. दहेज निषेध अधिकारी राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सौंपे गए अन्य जिम्मेदारियों का भी पालन करेगा।

